

कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- अनु.-प्रथम/सी/2017/23

दिनांक: 28/02/2017

कार्यालय आदेश

राजस्थान सेवा नियमावली के नियम-56 के प्रावधानानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत निम्नांकित अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष (अवधि दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक) की पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक को तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम मय पिता का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	जन्म दिनांक	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की दिनांक	राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री हनुमान प्रसाद डेलू पुत्र श्री इमरता राम, वरिष्ठ प्रारूपकार	वृत्त श्रीगंगानगर	05.06.57	04.06.17	30.06.17
2	श्री हीरा लाल सैनी पुत्र श्री रघुनाथ, अनुरेखक	मुख्य अभियन्ता कार्यालय राज0 जयपुर	07.06.57	06.06.17	30.06.17
3	श्री लालचन्द सुथार पुत्र श्री नारायण दास, वरिष्ठ प्रारूपकार	नगर खण्ड बीकानेर	08.06.57	07.06.17	30.06.17
4	श्री दामोदर लाल वर्मा पुत्र श्री कालू लाल वर्मा, अनुरेखक	मुख्य अभियन्ता कार्यालय राज0 जयपुर	15.06.57	14.06.17	30.06.17
5	श्री रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री रतौली राम मीणा, निरीक्षक उद्यान	वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान जयपुर	01.07.57	30.06.17	30.06.17
6	श्री प्रेम कुमार सैनी पुत्र श्री रामचन्द्र सैनी, अनुरेखक	ग्रामीण वृत्त जयपुर	01.07.57	30.06.17	30.06.17
7	श्री बल्लाराम मीणा पुत्र श्री हरजी राम मीणा, वरिष्ठ प्रारूपकार	खण्ड प्रथम सवाईमाधोपुर	07.07.57	06.07.17	31.07.17
8	श्री दिलीप कुमार सक्सैना पुत्र श्री वी.के.सक्सैना, वरिष्ठ प्रारूपकार	जिला खण्ड प्रथम बीकानेर	10.07.57	09.07.17	31.07.17
9	श्री रामदेव मीणा पुत्र श्री जी.आर. मीणा, राजस्व निरीक्षक	ग्रामीण वृत्त जयपुर	12.07.57	11.07.17	31.07.17
10	श्री राम अवतार कूलवाल पुत्र श्री भँवर लाल कूलवाल, अनुरेखक	मुख्य अभियन्ता कार्यालय राज0 जयपुर	17.07.57	16.07.17	31.07.17

1	2	3	4	5	6
11	श्री अशोक कुमार नाई पुत्र श्री गिराज प्रसाद, भू-मापक	वृत्त भरतपुर	07.08.57	06.08.17	31.08.17
12	श्री चन्द्र प्रकाश माथुर पुत्र श्री राम निवास, कनिष्ठ प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता कार्यालय राज0 जयपुर	01.12.57	30.11.17	30.11.17
13	श्री बृजेन्द्र सिंह शर्मा पुत्र श्री बाबू लाल शर्मा, कनिष्ठ प्रारूपकार	खण्ड प्रथम, भरतपुर	01.12.57	30.11.17	30.11.17
14	श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री गणेश राम सैनी, अनुरेखक	नगर खण्ड द्वितीय जयपुर	18.12.57	17.12.17	31.12.17
15	श्री बृज किशोर जाटव पुत्र श्री नैडूराम जाटव, सहायक निरीक्षक उद्यान	अधीक्षक उद्यान अलवर के अधीन, उद्यान भरतपुर	22.12.57	21.12.17	31.12.17
16	श्री लाल सिंह मीणा पुत्र श्री गीतम सिंह मीणा, वरिष्ठ प्रारूपकार	खण्ड बाड़ी, धोलपुर	01.01.58	31.12.17	31.12.17
17	श्री धनेश्वर लाल माथुर पुत्र श्री मोहन लाल, वरिष्ठ प्रारूपकार	जिला खण्ड द्वितीय बीकानेर	03.01.58	02.01.18	31.01.18
18	श्री हीरा लाल बैरवा पुत्र श्री छोटे लाल, अनुरेखक	खण्ड द्वितीय अलवर	08.01.58	07.01.18	31.01.18
19	श्री गोपाल लाल माली पुत्र श्री देवी लाल, सहायक निरीक्षक उद्यान	वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान उदयपुर	20.01.58	19.01.18	31.01.18
20	श्री रामसिंह यादव पुत्र श्री राम स्वरूप यादव, कनिष्ठ प्रारूपकार	खण्ड द्वितीय, अलवर	08.03.58	07.03.18	31.03.18
21	श्री अशोक कुमार माथुर पुत्र श्री श्रीनारायण माथुर, भू-मापक	वृत्त कोटा	10.03.58	09.03.18	31.03.18

संबंधित कार्यालय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास रिक्त करवायें एवं राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की पेंशन, ग्रेच्यूटी, बकाया दावों, यात्रा भत्ता, वेतन निर्धारण आदि को अन्तिम रूप देते हुए इस कार्यालय को अवगत करावें ।

उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सेवा अभिलेख से उनके नाम व अन्य सेवा विवरण का मिलान करें तथा यदि कोई विभागीय जांच बकाया/विचाराधीन हो तो इस कार्यालय को अवगत करावें तथा कर्मचारी का पेंशन प्रकरण नियमानुसार तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करें ।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच शेष हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रकरण हो, स्टोर में कमी संबंधी प्रकरण या अन्य प्रकरण हो तो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने से पूर्व कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सम्भागों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ वृत्त/खण्ड/उपखण्ड स्तर पर कार्यरत अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी जिन्होंने 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु उसका नाम उक्त आदेश में सम्मिलित होने से रह गया हो तो आप तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें ताकि कार्मिक के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये जा सकें ।

(शिव लहरी शर्मा)

मुख्य अभियन्ता एवं अति० सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज० जयपुर

क्रमांक:एफ. 44(14)/अनु.प्रथम/सी/2017/प्रे०-1221

दिनांक: 28/02/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेन्शन विभाग, राज० जयपुर ।
2. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज० जयपुर ।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सानिवि संभाग-समस्त ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, (विद्युत), सानिवि जयपुर/जोधपुर ।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय-समस्त
6. अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत्त-समस्त ।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड-समस्त ।
8. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सानिवि राज० जयपुर ।
9. संयुक्त निदेशक, आईटी, सानिवि राज० जयपुर को उक्त आदेश को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
10. उद्यान विज्ञ, सानिवि राज० जयपुर ।
11. वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान/अधीक्षक उद्यान, सानिवि-समस्त ।
12. श्री
13. निजी सचिव, मु.अ./अनुभाग-8 (जांच अनुभाग)/मुख्य वास्तुविद्/वित्तीय सलाहकार /संयुक्त विधि परामर्शी ।
14. व्यक्तिगत/रक्षित पत्रावली ।

संजीव माथुर
28/2/17
(संजीव माथुर)

अधीक्षण अभियन्ता एवं तक. सहा. प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज० जयपुर